

वाहन को किराये पर लेने हेतु सूचना पट के माध्यम से निविदा का आमंत्रण ।

भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के मापदण्डों के अलावा मे इस संस्थान के पी0एस0एम0

विभाग अन्तर्गत अख्यनरत एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/इन्टर्नल छात्रों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु चिकित्सक शिक्षकों को प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, कल्याणपुर जिला-समस्तीपुर, सोनकी, गोलीली पंचोम एवं शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, राज होस्पिटल आने जाने के लिए एक वर्ष हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना के अवर सचिव सह निकासी एवं व्यवस्थापक अधिकारी, वित्त विभाग, बिहार सरकार पटना एवं मेसर्स जय भी दुर्ग डेयल्स कंकड़बाग, डिपेंस कौन्सिली, क्वार्टर नं0 80, पटना के बीच हुये एकरारनामा दिनांक-28/8/2019 (छात्रा प्रति सलगन) के आधार पर अंकित उल्लेखित नियम एवं शर्तों तथा स्वीकृत दर अथवा उससे कम दर पर न्यु मीडल स्कोरपीयो ए0सी0 किराये पर लेने हेतु इच्छुक निजी/निबंधित फार्म से निम्नलिखित शर्तों पर मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है । किराये की वाहन हेतु नियम एवं शर्तों उक्त एकरारनामा में अंकित शर्तों के अतिरिक्त निम्न नियम एवं शर्तें मान्य होगी ।

1-नई वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

2-वाहन का बिहार राज्य के अन्तर्गत कामर्शियल सड़क निबंध नहीं मान्य होगा अथवा वाहन उपलब्ध कराने के उपरान्त 15 दिनों के अन्दर कामर्शियल सड़क निबंधन जमा करना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी ।

3-निजी/रजिस्टर्ड फार्मों का पैन कार्ड की छाया प्रति सलगन करना अनिवार्य होगा ।

4- नियमना भुगतान राशि से टी0डी0एस0/आयकर अथवा अन्य वांछित कटौती करने की बाद ही भुगतान की जायेगी ।

5-संतोषप्रद कार्य के आधार पर उक्त अवधि में बढोत्तरी की जा सकती है ।

6- कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने वाले किसी भी समय बिना कारण बताये आपका उक्त एकरारनामा/निविदा/आदेश रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित फार्म/मालिक की होगी ।

7-वाहन का रख-रखाव, खलासी, चालक, ड्रैवम, मोबिल आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/फार्म द्वारा किया जायेगा

8-समय-समय पर नियमानुसार गाड़ी का फिटनेट प्रमाण-पत्र लेने की जिम्मेवारी संबंधित वाहन मालिक का होगा । साथ ही वाहन का फिटनेट प्रमाण-पत्र की छाया प्रति पत्र निर्गत के पन्द्रह दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा ।

9-स्वीकृत दर में सभी कर आदि सम्मिलित है तथा स्वीकृत दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी राशि देय नहीं होगा ।

10-सुरक्षा राशि के तौर पर 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) का किसी भी राष्ट्रीय बैंक से प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के नाम से भुगतान बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ सलगन करना होगा ।

11-स्वीकृत दर पर अगर वाहन मालिक द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा तो उसकी सिक्युरिटी की राशि जप्त कर ली जायेगी ।


12-निविदा स्वीकृत होने के बाद वित्त विभाग के एकरारनामा के अनुरूप 1000/- (एक हजार रुपये) के बैंपड पेपर पर एकरारनामा करना होगा ।

13-वाहन का देखभाल/सुरक्षा आदि की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी ।

14-भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली अथवा बिहार सरकार अथवा आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थिति में उक्त वाहन को 1500(पन्द्रह सौ) किलोमीटर से अधिक का चालन संस्थान द्वारा किया जायेगा तो अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का अनुमोदित दर भुगतान किया जायेगा, जिसका आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

15-यदि उपरोक्त नियम एवं शर्तें मजूर हो तो उपरोक्त सभी वांछित कागजात के साथ निविदा स्वरूप एक स्पष्ट आवेदन, प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के नाम से जिसमें यह अंकित हो कि वे अपने इच्छा से उपरोक्त शर्तों के अनुरूप वाहन देना चाहते हैं का उल्लेख करते हुए अपना आवेदन सभी अनुत्पन्नकों के साथ सीलबंद लिफाफे में पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निबंधित डाक अथवा सीधे कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दिन जमा कर सकते हैं । उपरोक्त तिथि के बाद किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । कय समिति द्वारा न्यूनतम दर को आधार मानते हुए चयनित निविदादाता को ही अंतिम रूप से चयनित माना जायेगा, इसके लिए अलग से कोई दावा मान्य नहीं होगा । एक से अधिक निविदा/आवेदन में समान दर होने पर कय समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा ।

सलगनक:-यथाउपरोक्त ।



प्राचार्य, 23.12.2019
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय,
लहेरियासराय ।

ज्ञापक- 4808 / लहेरियासराय, दिनांक- 23/12/19

प्रतिलिपि-आयुक्त, दरभंगा प्रमडल, दरभंगा/ जिलापदाधिकारी, दरभंगा/ जिला जनसमर्पक पदाधिकारी, दरभंगा / अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-विभागाध्यक्ष, पी0एस0एम0 विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-एक प्रति कार्यालय के सूचना पट एवं वेबसाईट- www.darbhngamedicalcollege.com पर देने हेतु ।


प्राचार्य,
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय,
लहेरियासराय ।
23.12.2019